



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 4, 2004/फाल्गुन 14, 1925

No. 226]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 4, 2004/PHALGUNA 14, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2004

सं. 31/2004-सीमा-शुल्क (एन.टी.)

का. आ. 287(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 62/94-सीमा-शुल्क (एन. टी.), तारीख 21 नवम्बर, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 6 के सामने कर्नाटक राज्य से संबंधित स्तंभ (3) में, मल्ले से संबंधित मद (4) के सामने, स्तंभ (4) की मद संख्यांक (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“(ख) निर्यात के लिए निम्नलिखित माल की लदाई, अर्थात्:—

- (i) लौह और मैंगनीज अयस्क, मछली और मछली उत्पाद;
- (ii) काफ़ी की भूसी।”

[फा. सं. 574/10/2002-एलसी]

एस. एम. अख्तर, अवर सचिव (एलसी)

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 62/94-सीमा-शुल्क (एन.टी.), तारीख 21 नवम्बर, 1994 [का. आ. 829(अ), तारीख 21 नवम्बर, 1994] और अंतिम बार अधिसूचना सं. 15/2004-सीमा-शुल्क (एन. टी.) तारीख 9 फरवरी, 2004 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2004

No. 31/2004-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 287(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 62/94-Customs (N.T.), dated the 21st November, 1994, namely:—

In the said notification, in the Table, against serial Number 6 relating to the State of Karnataka, against item (4) occurring in column (3) relating to Malpe, in column (4), for item number (b) and the entries relating thereto, the following item number and entries shall be substituted, namely:—

“(b) Loading of following goods for export,

namely:—

- (i) Iron and manganese ore, fish and fish products;
- (ii) Coffee Husk.”

[F.No.574/10/2002-LC]

S. M. AKHTER, Under Secy. (LC)

Note: The Principal Notification was published in the Gazette of India vide Notification No. 62/94-Customs (N.T.), dated the 21st November, 1994 [S.O. 829 (E), dated the 21st November, 1994] and lastly amended by Notification No. 15/2004-Customs (N.T.) dated 9th February, 2004.